(2) बुनियादी स्तर पर, बैंकों की शाखाओं को सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत लक्ष्य प्रदान कर दिए जाते हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न मंचों अर्थात ब्लाक स्तरीय बैंकर समितियां जिला-परामर्शदात्री समिति, और जिला-स्तरीय पुनरीक्षण समिति के साथ-साथ राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियां (एसएलबीसी) से बैंकिंग क्षेत्र के कार्य-निष्पादन की समीक्षा और उस पर निगरानी नियमित तौर पर की जाती है।

(3) केवल कृषि, पुष्प कृषि, खाद्य संसाधन क्षेत्रों की नवीन-प्रकिया वाली और उच्च तकनीक वाली परियोजनाओं की आवश्यकता पूर्ति के लिए और उन्हें ऋण प्रदान करने के कार्य को सबल बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विशिष्ट कृषि-शखाएं खोलने की सलाह दी है।

(4) ग्रामीण इलाकों को ऋण प्रदान करने की पद्धति को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को व्यापक पुनर्गठन कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्गठित किया जा रहर है। 1994-95 के दौरान 49 और 1995-96 के दौरान 53 क्षेत्रीय बैंकों को इस प्रयोजन के लिए पहले ही लिया गया है।

(5) वर्ष 1994 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद-ऋण योजना प्रारम्भ की है। कुछ नियत मानदण्ड पूर्ण करने वाले किसानों को उनकी मिली-जुली ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक लचीली नकद-ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ दो-तीन समीपस्थ जिलों को कवर करते हुए गैर-सरकारी स्थानीय बैंक स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के विकास के लिए कार्य-योजना

2326. **श्री भगवान माझी:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के चौमुखी विकास के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना): (क) और (ख) पर्यटन का विकास करना मुख्यतया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता और राज्य सरकारों/प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश दोनों के माध्यम से गहन विकास करने के लिए एक परिपथ अर्थात ऋषिकेश-नरेन्दर नगर-गंगोत्री-बद्रीनाथ की पहचान की है। फिर भी, राज्य सरकार से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए विशेषरूप से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पर्यटन विभाग ने हिमालय के क्षेत्रों में जिसमें उत्तर प्रदेश के पर्वत भी शामिल हैं, का विकास करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है।

Benefits to be Accrued to Pharmacists on Promotion

2327. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some pharmacists working under CGHS in the pay scale of Rs. 1350-2200 have recently been promoted to senior pharmacists in the pay scale of Rs. 1600-2660/-;

(b) if so, the names of pharmacists under different system of medicines benefited by this promotion in Delhi and from which date; and

(c) the details of financial benefit given to them?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) Yes, Sir.

(b) Information is given in the enclosed statement (*See* below).

(c) Pharmacists covered by the new scale would be getting the benefits of upgraded payscale (the increase verying from individual to individual) depending upon their present pay in the old scale.

Statement

List of Names of Pharmacist under Different system of Medicine Benefited by Promotion, in Delhi w.e.f. 11.7.95

Sl. No.	Name of the Official (Allopathic)
1.	Shri Gurnam Singh
2.	Shri P.S. Rathi.